ICPS

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग जिला –महासमुन्द, (छ.ग.)

(दूरभाष एवं फैक्स क्रमांक 07723–224352, E-mail ID- dwcdmahasamund@gmail.com)

पत्र क्रमांक 411 / मबावि / (ICPS) / 2019–20 महासमुन्द, दिनांक 10 / 07 / 2019

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के अंतर्गत जिला महासमुन्द हेतु शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह में कर्मचारियों की संविदा भर्ती के संबंध में विज्ञापन

सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति एवं संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 9070 / मबावि / आईसीडीएस / 15–16 दिनांक 01.02.2016 एवं छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–54 / 2012 / मबावि / 50 रायपुर दिनांक 11.12.2017 के अंतर्गत एकीकृत बाल संरक्षण योजना के प्रावधानों व स्वीकृति अनुसार महासमुन्द जिले में 50 बालकों की क्षमता वाले शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह के विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा भर्ती हेतु पात्र आवेदकों से 03 अगस्त 2019 तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है। पदों एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है :–

बाल देखरेख संस्था का नाम	Probation officer/Child Welfare officer/Case Worker	House Father	Paramedical Staff	Housekeeper	Helper
शा. बाल सम्प्रेक्षण गृह महासमुन्द (बालक)	01 अनु.जन.जाति 01 अनारक्षित	01 अनु.जन.जाति	01	01	01
एकमुश्त संविदा वेतन	17500/-	11000/-	9000/-	6000/-	6000/-

- उपरोक्त नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम–2012 का नियमन के तहत् होगा।
- उपरोक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है अथवा अपरिहार्य कारणों से पद / पदों पर नियुक्ति स्थगित की जा सकती है तथा किसी प्रकार की सिफारिश करने वाले उम्मीदवार का आवेदन पत्र स्वयंमेव ही निरस्त माना जाएगा।
- विज्ञापन की विस्तृत जानकारी कार्यालय कलेक्टर महासमुन्द, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुन्द के सूचना पटल पर एवं NIC महासमुन्द की वेबसाईट www.mahasamund.gov.in पर देखी जा सकेगी।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
सह सचिव जिला बाल संरक्षण समिति
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला महासमुन्द (छ.ग.)

ICPS

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग जिला –महासमुन्द, (छ.ग.)

(दूरभाष एवं फैक्स क्रमांक 07723–224352, E-mail ID- dwcdmahasamund@gmail.com)

पत्र क्रमांक 512/मबावि/(ICPS)/2019–20 महासमुन्द, दिनांक 10/07/2019

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के अंतर्गत जिला महासमुन्द हेतु शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह में कर्मचारियों की संविदा भर्ती के संबंध में विज्ञापन

सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति एवं संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 9070/मबावि/आईसीडीएस/15–16 दिनांक 01.02.2016 एवं छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–54/2012/मबावि/50 रायपुर दिनांक 11.12.2017 के अंतर्गत एकीकृत बाल संरक्षण योजना के प्रावधानों व स्वीकृति अनुसार महासमुन्द जिले में 50 बालकों की क्षमता वाले शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह के विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा भर्ती हेतु पात्र आवेदकों से 03 अगस्त 2019 तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है। पदों एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है :–

बाल देखरेख संस्था का नाम	Probation officer/Child Welfare officer/Case Worker	House Father	Paramedical Staff	Housekeeper	Helper
शा. बाल सम्प्रेक्षण गृह महासमुन्द (बालक)	01 अनु.जन.जाति 01 अनारक्षित	01 अनु.जन.जाति	01	01	01
एकमुश्त संविदा वेतन	17500/-	11000/-	9000/-	6000/-	6000/-

उपरोक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है अथवा अपरिहार्य कारणों से पद/पदों पर नियुक्ति स्थगित की जा सकती है। उपरोक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होगी :–

पदनाम	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनुभव	वांछनीय योग्यता
Probation officer/Child Welfare officer/Case Worker परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/केस वर्कर	समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/समाज विज्ञान या समकक्ष सामाजिक विषयों में स्नातकोत्तर अथवा विधि स्नातक।	कम्प्यूटर पर एम.एस. आफिस/वेबआधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	शासकीय/अर्द्धशासकीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों/शासन से अनुदान प्राप्त बाल देखरेख संस्थाओं, चाईल्ड लाईन, बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य/किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, के रूप में बच्चों की देखरेख/संरक्षण/पुनर्वास/बाल कल्याण के क्षेत्र में 03 वर्ष का कार्यानुभव। विधि स्नातक आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।	अंग्रजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान व कार्य करने में दक्ष हो।
House Father हाउस फादर	समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/समाज विज्ञान/विधि या समकक्ष सामाजिक विषयों में स्नातक।	कम्प्यूटर पर एम.एस. आफिस/वेबआधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	शासकीय/अर्द्धशासकीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों/शासन से अनुदान प्राप्त बाल देखरेख संस्थाओं एवं चाईल्ड लाईन, बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य/किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, के रूप में बच्चों की देखरेख/संरक्षण/पुनर्वास/बाल कल्याण के क्षेत्र में 02 वर्ष का कार्यानुभव।	अंग्रजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान व कार्य करने में दक्ष हो।

House Father हाउस फादर	समाजशास्त्र / मनोविज्ञान / समाज विज्ञान / विधि या समक्षक सामाजिक विषयों में स्नातक।	कम्प्यूटर पर एम.एस. आफिस / वेबआधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	शासकीय / अर्द्धशासकीय / अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों / शासन से अनुदान प्राप्त बाल देखरेख संस्थाओं एवं चाईल्ड लाईन, बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष / सदस्य / किशोर न्याय वोर्ड के सदस्य, के रूप में बच्चों की देखरेख / संरक्षण / पुनर्वास / बाल कल्याण के क्षेत्र में 02 वर्ष का कार्यानुभव।	अंग्रजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान व कार्य करने में दक्ष हो।
Paramedical Staff पैरा मेडिकल स्टॉप	ए.एन.एम. / एम.पी.डब्ल्यू अथवा शासन द्वारा निर्धारित संस्थान से उपयुक्त अवधि का नर्सिंग ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र।	–	शासकीय / अर्द्धशासकीय / निजी चिकित्सालय में पैरा मेडिकल स्टॉफ के रूप में 02 वर्ष का कार्यानुभव।	–
Housekeeper हाउस कीपर **Helper** हेल्पर	पांचवी उत्तीर्ण	–	किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय / निजी प्रतिष्ठि संस्थान में न्यूनतम 02 वर्ष का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यानुभव।	–
जिले में परिवीक्षा अधिकारी / बाल कल्याण अधिकारी / केस वर्कर एवं हाउस फादर के 02–02 पद स्वीकृत है। जिनमें छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 13–14 / 2009 / आप्र / 1–3 दिनांक 04.12.2012 के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) संशोधन नियम 2012 के अनुसूची 2 में जिला स्तर पर सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए दिये गये मॉडल रोस्टर लागू होगा। **टीप–** वर्तमान में हाउस फादर का 01 अनारक्षित पद से पदपूर्ति की कार्यवाही किया जा चुका है। अतः 01 पद अनुसूचित जन जाति संवर्ग से लिया जाना है।				

उपरोक्त पदों हेतु नियम व शर्ते :–

01) संविदा नियुक्ति 03 वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा आगे बढ़ाने का निर्णय विभाग / संबंधित जिले के सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा, अन्यथा संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।

02) संविदा नियुक्ति अवधि में योजना प्रावधानों के अनुसार एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा। अतः संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन / भत्ते की पात्रता नही होगी। सेवा समाप्ति के बाद संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के पेंशन उपादान भत्ता मृत्यु लाभ इत्यादि की भी पात्रता नही होगा।

03) संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। संविदा के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह के पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

04) आवेदक की आयु दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए।

05) आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

06) शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होने चाहिए।

07) आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किए जायेंगे। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्व प्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए।

08) अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी एवं स्वप्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

09) शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को आवेदन देने संबंधित जानकारी अपने नियोक्ता को देते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

10) अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे तथा इसके संबंध में आवेदक को कोई सूचना नही दी जायेगी।

11) उपरोक्त उल्लेखित योग्यता नही रखने वाले उम्मीदवार आवेदन नही करेंगे।

12) प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में आवेदित पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता आवश्यक रूप से उल्लेखित होना चाहिए।

13) लिखित परीक्षा/समूह चर्चा/स्किल टेस्ट में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय भत्ता देय नही होगा।

14) आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नही किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार होंगे। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रूपये का टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करें।

15) उपरोक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :–

पदनाम	चयन प्रक्रिया
01. परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/केस वर्कर	01. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत् पर 100 अंकों का Weightage देते हुए अधिकतम 70 अंक, 02. पी.जी.डी.सी.ए. या अन्य अतिरिक्त व्यवसायिक योग्यता के लिए 10 अंक, 03. पदानुरूप अनुभव से अधिक अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 05 अंक निर्धारित रहेंगे। अनुभव पर अधिकतम 20 अंक दिये जायेंगे। केवल परामर्शदाता अथवा बाल देखरेख एवं संरक्षण के कार्यानुभव पर ही अंक दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यो के अनुभव का लाभ नही दिया जायेगा।
02. हाउस फादर 03. पैरा मेडिकल स्टॉफ	01. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत् पर 100 अंकों का Weightage देते हुए अधिकतम 75 अंक, 02. पदानुरूप अनुभव से अधिक अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 05 अंक निर्धारित रहेंगे। अनुभव पर अधिकतम 25 अंक दिये जायेंगे।
04. हाउस कीपर 05. हेल्पर	01. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए अधिकतम 50 अंक, 02. पदानुरूप अनुभव से अधिक अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 05 अंक निर्धारित रहेंगे। अनुभव पर अधिकतम 50 अंक दिये जायेंगे।
उपरोक्तानुसार पदों पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अधिकतम प्राप्त अंको की मेरिट सूची तैयार करते हुए मेरिट सूची के आधार पर अंतिम चयन की कार्यवाही की जायेगी।	

16) प्राप्त आवेदनों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

17) विज्ञापन की विस्तृत जानकारी व आवेदन प्रारूप जिला महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुन्द के सूचना पटल पर एवं जिला वेबसाईट www.mahasamund.gov.in पर देखी जा सकती है।

18) अपात्र अथवा मेरिट क्रम में न आने वाले अभ्यार्थियों को सूचना नही दी जायेगी। स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध 1:10 के अनुपात पर पात्र अभ्यार्थियों का सूची तैयार की जायेगी। चुने हुए अभ्यार्थियों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए लिफाफे के माध्यम से सूचना दी जायेगी।

19) आवेदक का आवेदन दिनांक 03 अगस्त 2019 को सायं 5:00 बजे तक "कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, महासमुन्द" को अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिये। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नही किया जावेगा।

20) किसी प्रकार की सिफारिश करने वाले उम्मीदवार का आवेदन पत्र स्वयंमेव ही निरस्त माना जाएगा। कृपया किसी भी प्रकार की सिफारिश कर अपने आपको नियुक्ति के अवसरों से वंचित न करें। चयन समिति अपने विवेक के आधार पर ऐसे आवेदनों को चयन से वंचित कर सकती है।

21) उपरोक्त नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम–2012 का नियमन के तहत् होगा।

22) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो :–

01. पुरूष उम्मीद्वार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। इसी प्रकार महिला उम्मीद्वार जिसने ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह किया जो जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित हो।

02. जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नही पाया जाए।

03. जिसकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो।

04. जो किसी आपराधिक प्रकरण में सजायाप्ता हो।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
सह सचिव जिला बाल संरक्षण समिति
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला महासमुन्द (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वयं द्वारा पासपोर्ट साईज फोटो पर हस्ताक्षर किया जावे जिसका आधा भाग फोटो एव आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए चस्पा करें।

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी /
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
जिला महासमुन्द, (छ.ग.)

01. आवेदित पद का नाम एवं संस्था का नाम :- ....
02. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :- ....
(अग्रेजी में) :- ....
03. पिता / पति का नाम :- ....
04. स्थायी पता :- ....
:- ....
:- ....
05. पत्र व्यवहार का पता :- ....
:- ....
:- ....
:- मो.नं ....
06. जन्मतिथि (अंको में) :- ....
(शब्दों में) :- ....
07. दिनांक 01.01.2019 को आयु :- .... वर्ष .... माह .... दिन
08. लिंग पुरूष / महिला :- ....
09. जाति / वर्ग (अजा. / अजजा. / अपिव / सामान्य) :- ....
10. क्या आवेदक शास. / अर्द्ध.शासकीय संस्था में सेवारत् है? :- ....
11. विवाहित / अविवाहित / विधुर / परित्यक्ता :- ....
12. यदि आप विवाहित हैं, तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या :- विवाह तिथि ....
:- बच्चों की संख्या ....
13. शैक्षणिक योग्यता :- (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था / विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	पूर्णांक	प्रप्तांक	प्रतिशत

14. अन्य योग्यता का विवरण :- ....

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न हाँ / नही) :- ....

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का करण

16. आवेदक द्वारा अनिवार्य संलग्नों की सूची :-

1. जन्मतिथि हेतु 10वीं की अंकसूची / प्रमाण पत्र।
2. 12वीं की अंकसूची / प्रमाण पत्र।
3. स्नातक की अंकसूची / प्रमाण पत्र।
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची। (पद अनुरूप आवश्य होने पर)
5. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र। (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
6. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र।

17 अन्य संलग्नों का विवरण :-

01. ....
02. ....
03. ....
04. ....
05. ....

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम ....

-: घोषणा पत्र :-

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ, कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :- ....

दिनांक :- ....